



स्वायत्त संस्थानों का सुव्यवस्थीकरण

प्रलिस के लिये:

वित्त मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्नथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री

मेन्स के लिये:

स्वायत्त संस्थानों के सुव्यवस्थीकरण या वलिय का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) के अंतर्गत कार्य करने वाले पाँच स्वायत्त संस्थानों को इससे अलग करने तथा दो अन्य संस्थानों का वलिय करने की सफिरशि की गई है। इस प्रकार मंत्रालय के अधीन आने वाले 16 स्वायत्त संस्थानों की संख्या को घटाकर 9 किया जाना प्रस्तावित है।

पृष्ठभूमि:

- वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई यह सफिरशि उस रिपोर्ट का हिस्सा है जिससामान्य वित्त नयिम, 2017 के नयिम 229 (Rule 229 of General Finance Rules, 2017) के तहत नरिधारित दशा-नरिदेशों के अनुसार तैयार किया गया है।
 - नयिम 229 'स्वायत्त संगठनों की स्थापना के लिये सामान्य सिद्धांतों' से संबंधित है।
 - रिपोर्ट का उद्देश्य न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन तथा सार्वजनिक कोष के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त नकियों के सुव्यवस्थीकरण (Rationalisation) के लिये वशिष्ट एवं कार्रवाई योग्य सफिरशें करना है।

MoEFCC के लिये की गई सफिरशें:

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India-WII) देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (Indian Institute of Forest Management- IIFM) भोपाल, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (Indian Plywood Industries Research & Training Institute) बंगलूरु, CPR पर्यावरण शक्ति केंद्र, चेन्नई एवं पर्यावरण शक्ति केंद्र, अहमदाबाद को MoEFCC से वसिथापति करने की सफिरशि की गई है।
 - वसिथापन में दो मुख्य पहलुओं को शामिल किया जाना है: पहला, संस्था को प्रबंधन से अलग समयबद्ध तरीके से सरकारी सहायता प्रदान करना और दूसरा, संबंधित संस्थान/हतिधारकों को उन्हें चलाने की अनुमति देना।
 - सरकार द्वारा तीन वर्ष की समयावधितथा प्रत्येक वर्ष 25% की क्रमिक बजट कटौती के साथ वधितन की सफिरशि की जाती है।
 - WII तथा IIFM दोनों को डीमड वशिष्वदियालयों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- रिपोर्ट में सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट (Society of Integrated Coastal Management), नई दल्लि के नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (National Centre for Sustainable Coastal Management), तमलिनाडु में वलिय करने की सफिरशि की गई है क्योंकि दोनों ही संस्थान तटीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये समान भूमिका का नरि्वहन करते हैं। इससे कार्यों के दौराव से बचा जा सकेगा।
- सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्नथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History), तमलिनाडु जिसे MoEFCC मंत्रालय से सालाना 14 करोड रूपए प्राप्त होते हैं, को मंत्रालय के साथ वलिय करने की सफिरशि की गई है।
- केंद्रीय प्रदूषण नरिंतरण बोर्ड (Central Pollution Control Board), केंद्रीय चड्डियाघर प्राधकिरण (Central Zoo Authority-CZA), राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधकिरण (National Tiger Conservation Authority-NTCA), राष्ट्रीय जैव वविधिता प्राधकिरण (National Biodiversity Authority) जैसे सांविधिक नकियों को MoEFCC से वत्तीय सहायता एवं सहयोग मलने की बात कही गई है।
 - इन नकियों को 'स्व-वत्तपोषति'(Self-financed) बनने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

सराहनीय पहल:

- यह पहली बार है कि इस तरह का ऑडिट उन संस्थानों के लिये किया गया है जिन्हें पूरा होने में लगभग चार वर्ष का समय लगा।
- WII एवं अन्य संस्थानों को डीमड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्राप्त होने से संस्थानों को अधिक पाठ्यक्रम शामिल करने एवं अधिक सुविधा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

आलोचना:

- संस्थानों में इस प्रकार का वधितन/अलगाव इनके समक्ष अनुसंधान के बजाय **वित्तीय मुद्दों को लेकर चुनौतियाँ** उत्पन्न कर सकता है।
 - पर्यावरण एक **सार्वजनिक मुद्दा** है और इसकी सुरक्षा के लिये अच्छे सार्वजनिक संस्थानों की आवश्यकता है।
- इन संस्थानों का सरकार से अलगाव को **नजि हाथों में भेजने की दशा में पहला कदम (The First Step Towards Sending Them into Private Hands)** के रूप में देखा सकता है।

यदि सरकार को लगता है कि धन का उपयोग सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है या संस्थान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिये अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे उन छात्रों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा जो इन विशिष्ट विषयों का अध्ययन करने का सपना देखते हैं, वहीं दूसरी ओर नजि विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली उच्च फीस को वहन करना उनके लिये संभव नहीं है।

इस दशा में अन्य संबंधित कदम:

- हाल ही में कपड़ा मंत्रालय द्वारा **'अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड'** (All India Handloom Board) और **'अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड'** (All India Handicrafts Board) को समाप्त कर दिया गया है।
- वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वायत्त निकायों, **'राष्ट्रीय आरोग्य निधि'** (Rashtriya Arogya Nidhi-RAN) और **'जनसंख्या स्थिरता कोष'** (Jansankhya Sthirata Kosh-JSK) को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी तथा इनके कार्यों को **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग'** (Department of Health & Family Welfare-DoHFW) में शामिल करने को कहा गया।

स्वायत्त निकाय:

- इन निकायों की स्थापना दिनांक-प्रतिदिन के कार्यों को सरकारी हस्तक्षेप के बिना, स्वतंत्रता एवं लचीलेपन के साथ करने की ज़रूरत को ध्यान में रखकर की जाती है।
- इन्हें मंत्रालय/विभागों द्वारा संबंधित विषय के साथ स्थापित किया जाता है तथा अनुदान के माध्यम से पूर्ण या आंशिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे संस्थान अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों को किस सीमा तक उत्पन्न करते हैं।
 - ये अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ संबंधित पदों एवं शक्तियों इत्यादि के निर्देशों के माध्यम से वनियमिती किये जाते हैं।
- स्वायत्त/अनुदान प्राप्त निकायों के लिये कुल वितरित राशि **799.55 बिलियन रुपए** थी, जसि वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर **943.84 बिलियन रुपए** कर दिया गया।
- अधिकांश स्वायत्त संस्थान **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हैं एवं कुछ मामलों में इन्हें विभिन्न अधिनियमों में नहिती प्रावधानों के तहत वैधानिक संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया है।
- इन स्वायत्त संस्थानों की सरकारी कार्यों में **प्रमुख भागीदारी (Stakeholder)** होती है क्योंकि नीतियों के लिये रूपरेखा तैयार करने से लेकर अनुसंधान करने और सांस्कृतिक वरिष्ठ के संरक्षण इत्यादि में ये गतिविधियाँ शामिल हैं।
 - तकनीकी, चिकित्सा एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान इस श्रेणी में शामिल हैं।

आगे की राह:

स्वायत्त निकायों के शासन की समीक्षा करने की आवश्यकता है, साथ ही इनके लिये एक समान प्रक्रिया को विकसित करने की ज़रूरत है। कई स्वायत्त निकाय सरकार और जनता के बीच **कड़ी/इंटरफेस (Interfaces)** का कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मंत्रालय को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त निकायों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिये। जनि कारणों एवं उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन निकायों की स्थापना की गई है उन्हें एक समान उद्देश्य वाले संगठन के साथ वलिय करने या फरि समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि फरि से इन निकायों का नवीनीकरण किया जा सके।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

